भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 4351
दिनांक 19.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल की शुद्धता

4351. श्री गोपाल जी ठाकुरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पीने के पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेयजल के विभिन्न स्रोतों का समुचित संरक्षण नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) भारत सरकार ने राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की मार्फत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए कुल परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपए है जिसमें से केंद्रीय हिस्सेदारी 2.08 लाख करोड़ रुपए की है।

जल जीवन मिशन के तहत, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता प्रदान करें ताकि लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा, जल

जीवन मिशन के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि का आवंटन करते समय जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के अनुपात में 10 प्रतिशत भारांक दिया जाता है। साथ ही, भारत सरकार राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन का कार्यान्वयन कर रही है ताकि लगभग 27,544 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और दिनांक 17.03.2020 की स्थिति के अनुसार, इन प्रभावित बस्तियों के लिए 3,940.34 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

इसके अलावा, जल जीवन मिशन के जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी (डब्ल्यूक्यूएमएस) घटक के तहत राज्यों को सलाह दी गई है कि वे विभिन्न स्तरों पर जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करें तथा जल गुणवत्ता की चौकसी हेतु समुदायों को क्षेत्र जांच किट उपलब्ध कराएं।

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल स्रोतों के संरक्षण समेत ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन की शक्तियां संबंधित राज्यों के पास निहित हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों को सलाह दी गई है कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), एकीकृत वॉटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदानों आदि से तालमेल करके पेयजल स्रोतों को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए स्थायी उपाय करें।

वर्ष 2019-20 के दौरान, देश के 256 जल संकट ग्रस्त जिलों में एक समयबद्ध, मिशन मोड जल संरक्षण अभियान, जल शक्ति अभियान की भी शुरूआत की गई है जिसका लक्ष्य पांच लक्षित मध्यवर्तनों अर्थात् जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारम्परिक और अन्य जल निकायों/ तालाबों का नवीनीकरण, बोरवेलों का पुनः उपयोग तथा पुनर्भरण, वॉटरशेड का निर्माण और गहन वृक्षारोपण के त्वरित कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जल संरक्षण तथा जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना है।